इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 फरवरी 2016-माघ 27, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2016

अधि. क्र. 3-एफ-1-4-2015-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, नीचे दी गई अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्रों को, जो उक्त अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-2 में दिनांक 9 मई 2014 को पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, नगरपालिका क्षेत्र मण्डीदीप, जिला रायसेन की सीमा में सम्मिलित करते हैं, अर्थात् :—

अनुसूची-एक नगरपालिका क्षेत्र मण्डीदीप की सीमाओं में सम्मिलित किए गए ग्रामों का क्षेत्र निम्नानुसार होगा :—

अ.क्र.	तहसील	ग्राम का नाम	सम्मिलित किए जाने वाले सर्वे नंबर	क्षेत्रफल (एकड़ में)	क्षेत्रफल का विवरण
(1)	(2)	(3)	. (4)	(5)	(6)
1	गौहरगंज	सतलापुर	01 से 305 तक	963.15 .	सम्पूर्ण ''
2	_''_	पिपलिया लोरका	01 से 321 तक	1772.95	
3	_''_	टीलाखेड़ी	01 से 105 तक	468.18	''
4	<u></u>	खनपुरा	01 से 156 तक	591.81	''
5	_'' <u>_</u>	मोइजपुरा 🌸	01 से 61 तक	195.91	_''_
6	_''_	झलारकलां	01 से 31 तक	189.19	'''
7	_''_	नयापुरा	01 से 119 तक	421.41	
8	, ''	पिपालियाँ गज्जू	01 से 189 तक	805.46	
9	` <u> "_</u>	इटायाकलां	01 से 279 तक	931.91	'''
10	<u> </u>	हमीरी	01 से 97 तक	474.56	_ ''
11		खेजडी	01 से 53 तक	225.19	_''_
12	_''_	खामखेंडा	01 से 165 तक	493.79	
13	'''	मूड़ला	01 से 98 तक	418.87	_ ''
14	''	.सराकियां	01 से 338 तक	1596.51	''_
15	_"_	सिमराई	01 से 209 तक	937.12	''

अनुसूची-दो

उपरोक्त अनुसूची-एक में विहित किया गया क्षेत्र सम्मिलित होने के पश्चात् नगरपालिका क्षेत्र मण्डीदीप की पुनरीक्षित चतुःसीमा निम्नानुसार होगी :---

उत्तर दिशा— किलयासोत नदी की सीमा. पूर्व दिशा— कीरत नगर ग्राम की सीमा. दक्षिण दिशा— नानाखेड़ी ग्राम की सीमा. पश्चिम दिशा— पड़ोनिया ग्राम की सीमा.

Not. No. 3-F 1-4-2015-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 5-A of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the Governor of Madhya Pradesh is pleased to include the areas as specified in Schedule-I below within the limit of Municipal area of Mandideep, District Raisen, same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette, Part 2, dated the 9th May, 2014 as required by subsection (1) of Section 5-A of the said Act, namely:—

SCHEDULE-I

The area of the villages included within the Municipal limit of Mandideep shall be as follows:—

S.No.	Tehsil	Name of Village	Survey No. to be included	Areae (In Acres)	Description of Area
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Goharganj	Satlapur	01 upto 305	963.15	Whole
2	"	Pipaliya Lorka	01 upto 321	1772.95	"
3		Teelakhedi	01 upto 105	468.18	"
4	11	Khanpura	01 upto 156	591.81	"
5	"	Moijpura	01 upto 61	195.91	"
- 6		Jhalar Kalan	01 upto 31	189.19	11
7	"	Nayapura	01 upto 119	421.41	"
8	!'	Pipaliya Gajju	01 upto 189	805.46	"
9		Etayakalan	01 upto 279	931.91	. —"—
10	!' <u></u>	Hamiri	01 upto 97	474.56	
. 11	"	Khejdi	01 upto 53	225.19	
12	"	Khamkheda	01 upto 165	493.79	"
13	"	Mudala	01 upto 98	418.87	"
14	"	Srakiya	01 upto 338	1596.51	"
15		Simrai	• 01 upto 209	937.12	_"

SCHEDULE-II

The revised boundary of the Municipal area Mandideep after inclusion of the area prescribed in Schedule-I above are as follows:—

North — Kaliyasoat River East — Village Kirat Nagar South — Village Nanakhedi West — Village Padoniya

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, उपसचिव.